न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–46/10 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2010/00112

उनवान

1. मान सिहं पुत्र रामदयाल जाति ठाकुर निवासी गोगली तहसील व जिला धौलपुर (मृतक)
   1/1. श्रीमती रामबेटी पत्नी मान सिंह
   1/2. मुन्नालाल
   1/3. राकेश
   1/4. ओमवीर सिंह
   } पिस0 मान सिंह जाति ठाकुर निवासी गोगली तहसील व जिला धौलपुर।
   1/5. मुस0 श्रीमती पुत्री स्व0 मान सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह निवासी बयाना जिला भरतपुर।
   1/6. श्रीमती निर्मला पुत्री स्व0 मान सिंह पत्नी पप्पू निवासी शंकरपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
   1/7. श्रीमती आशा पुत्री स्व0 मान सिंह पत्नी महीपाल निवासी मुरैना जिला मुरैना मध्य प्रदेश।
   1/8. गुड्डी पुत्री स्व0 मान सिंह पत्नी राजू निवासी मुरैना जिला मुरैना मध्य प्रदेश।
2. वीरेन्द्र पुत्र वासुदेव जाति ठाकुर निवासी गोगली तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
2. तहसीलदार तहसील धौलपुर।
3. मुन्नालाल
4. शिवकान्त
5. हरीकान्त
   } पिस0 बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कैंथरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
6. श्रीमती मालती पुत्री बाबूलाल पत्नी हरीओम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कैंथरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दि0 17.08.2009 प्र.सं. 90/93 उनवानी मान सिंह बनाम सरकार।

उपस्थित :–

1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता वकील अपीलांट।
2. पैरोकार सरकार अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–29.11.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के

भू प्रबन्ध ...
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम गोगली तहसील व जिला धौलपुर को वादीगण अपीलांट ने विवादित भूमि के तत्कालीन खातेदार पन्नालाल से लगभग 37 वर्ष पूर्व क्रय किया था। तभी से विवादित आराजी पर वादीगण अपीलाण्ट काबिज काश्त चले आ रहे हैं। पन्नालाल एवं सहखातेदार जो कि जागीरदार थे के मध्य विवादित आराजी एवं अन्य कृषि भूमि के संबंध में राजस्व वाद न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में प्रस्तुत हुआ उक्त वाद का शीर्षक रामस्वरूप बनाम बाबूलाल था एवं वाद संख्या 103/71 था। उक्त वाद राजीनामा के मुताबिक दिनांक 07.12.1971 को डिक्री हुआ। तत्पश्चात् जिला कलक्टर भरतपुर ने विवादित भूमि एवं अन्य भूमि को दिनांक 05.12.1975 को आधिपत्य सरकार में लेने के आदेश प्रसारित किये। वादीगण अपीलाण्ट के विक्रेता ने उक्त आदेश दिनांक 05.12.1975 से व्यथित होकर अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसका शीर्षक पन्नालाल बनाम सरकार एवं अपील संख्या 52/76 था। उक्त अपील में वादीगण अपीलाण्ट पक्षकार मुकदमा बने एवं वादीगण अपीलाण्ट के पक्ष में उक्त अपील दिनांक 30.04.1977 को आंशिक स्वीकार करते हुये विवादित आराजी को कब्जे राज्य सरकार में लेने के आदेश को निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में हुयी, जिसका अपील संख्या 11/77 रहा एवं उक्त द्वितीय अपील दिनांक 03.05.1984 को स्वीकार हुयी एवं कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 05.12.1975 को निरस्त किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 को कृषि भूमि का रखवाला मात्र स्वीकार किया गया। सन् 1974 में नायब तहसीलदार सैपऊ ने वादीगण अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी जो दिनांक 23.04.1974 को निरस्त की गयी और वादीगण अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर स्वत्व माना गया। सन्1978 को पुनः धारा 91 की कार्यवाही की गयी। जिस पर वादीगण अपीलाण्ट ने जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर जिला कलक्टर भरतपुर ने नायब तहसीलदार को धारा 91 की कार्यवाही नहीं करने बाबत् पाबन्द किया गया। इस प्रकार वादीगण अपीलाण्ट विवादित आराजी पर लगभग 37 वर्ष से काबिज काश्त है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अपीलाण्ट ने अपने दावे को पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक गवाहान के बयानो से बखूबी साबित किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी अपीलाण्ट खारिज किये जाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट की मौखिक साक्ष्य पर विश्वास ना कर कानूनी त्रुटि की है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर 50 सालो से निरन्तर कब्जा

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

काश्त है। पूर्व में कई निर्णय वादीगण अपीलाण्ट के पक्ष में निस्तारित हो चुके हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को तय करने हेतु सात तनकियात कायम की गयी हैं। उक्त तनकियों में वादी अपीलाण्ट के दावे की सफलता के लिए तनकी संख्या 01 लगायत 03 मूलभूत तनकी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकियों को तय करते समय, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की गई है। अपीलाण्ट ने उक्त तनकियों के निर्णय को चुनौती देने योग्य, कोई तथ्य, तर्क अथवा साक्ष्य अपील में प्रस्तुत नही किये हैं। अपीलाण्ट विवादित भूमि को एक तरफ तो पन्नालाल से क्रय करना बताता है वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे का कथन करता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी अधिकार सृजित होने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल (वृहद पीठ) ने माना है कि :–

"In the view of their bench the larger bench in its judgment Bagga v/s Surendra as reported in RRd 1991 P.1 has not laid down a good law became the RT Act does not have any Proviso to confer tenancy rights to be adverse possession."

इसके अलावा अपीलाण्ट विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त बताता है। परन्तु उक्त तथ्य की पुष्टि में उनके द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे विवादित भूमि पर उनका कब्जा काश्त साबित होता हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियों को तय करते समय साक्ष्यो की समुचित व्याख्या करते हुए निष्कर्ष अंकित किये हैं। जिनमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2009 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
भू प्रबन्ध अधिकारी
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)
भरतपुर